FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0146 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/06/2026 14:46 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 02/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/06/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/06/2026 14:46:38 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 224 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KASBA RIDMALSAR, TEHASIL PADAMPU,SHRIGANGANAGAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SUKHDEV SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): JEET SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1982 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHAK 68 L.N.P. MANDI RIDMALSAR, PADAMPUR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHAK 68 L.N.P. MANDI RIDMALSAR, PADAMPUR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANKUSH KUMAR		पिता:MANSUKHRAM	1. 08 E.E.A.,PADAMPUR,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	50,000 रिश्वती राशी (10,000 रूपये भारतीय मुद्रा के नोट एवं 40,000	50,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	डमी नोट)	50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 06.05.2026 को परिवादी श्री सुखदेवसिंह पुत्र श्री जीतसिंह जाति जटसिख उम्र 44 वर्ष पेशा खेती-बाड़ी निवासी चक 68 एल.एन.पी. मण्डी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ने ब्यूरो चौकी (एसयू) बीकानेर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आश्य कि पेश की कि मेरे नाम चक 68 एल एन पी पटवार हल्का रिड़मलसर तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर में 0.4500 हैक्टेयर (लगभग पौने दो बीघा) बारानी कृषि भूमि है, जिसका खाता संख्या 135 है। उक्त भूमि में किला नम्बर 01/06 में मेरा रहवासी मकान बना हुआ है। उक्त मकान पर मेरे घरेलू आवश्यकता हेतु होम लोन लेने लेने के लिए मैने प्राइवेट बैक से सम्पर्क किया तो बैक वालो ने आकर मेरा रहवासी मकान की जीपीएस से लोकेशन चैक की तो उक्त रहवासी मकान किला नम्बर 01/01 में दर्शा रहा है और मेरी जमाबन्दी में रहवासी मकान 01/06 में दिखा रहा है, उक्त दोनो किलो में विरोधाभास होने पर बैक वालो ने मुझे कहा कि आप अपने पटवारी से रहवासी मकान को 01/6 से किला नम्बर 01/1 में सही करवाओं, जिस पर मै मेरे हल्का पटवारी श्री अंकुश कुमार से सम्पर्क किया तो पटवारी ने मुझे कहा कि या तो आप रजिस्ट्री करवाकर सही करवाओ या मै साहब से मिलकर आपका काम कम खर्चे में करवा दूंगा, जिस पर मेरे द्वारा पूछा कि कम खर्चा कितने में हो जायेगा, तब पटवारी अंकुश कुमार ने कहा कि 01 लाख रूपये में काम हो जायेगा। मै मेरे जायज काम के लिए भ्रष्ट पटवारी अकुंश कुमार को रिश्वत नही देना चाहता हूं। मेरी भ्रष्ट पटवारी अंकुश कुमार से कोई पुराना लेन-देन उधार नही है ना ही कोई पुरानी रंजिश है। अतः श्रीमानजी भ्रष्ट पटवारी अंकुश कुमार को रिश्वत देते समय रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर मजीद पूछताछ की गयी तो परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्य सही होना बताया। जिस पर वक्त 04.30 पी.एम. पर परिवादी श्री सुखदेवसिंह को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन बाबत पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि पटवारी अंकुश कुमार अपने कार्यालय उपतहसील रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में ही रहता है, रिड़मलसर यहां से लगभग 225 किलोमीटर है, पहुंचने में अभी समय लग जायेगा। इसलिए पटवारी कार्यालय समय पुर्ण हो जाने पर मिलने की कम संभावना रहती है। मै कल दिनांक 07.05.2026 को मै पटवारी अंकुश कुमार से मिलकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर श्री कन्हैयालाल कानि. 312 के मार्फत कार्यालय हाजा का वोयस रिकोर्डर मय नया मैमोरी कार्ड मंगवाकर परिवादी को वोयस रिकोर्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई तथा कानि. कन्हैयालाल 312 व परिवादी श्री सुखदेवसिंह का आपसी परिचय करवाकर एक दुसरे को मोबाईल नंबर से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री सुखदेवसिंह को हिदायत कर रूखसत दी गयी। दिनांक 07.05.2026 को वक्त 7.00 एएम पर परिवादी श्री सुखदेवसिंह के बताये अनुसार श्री कन्हैयालाल कानि. 312 के मार्फत् कार्यालय हाजा का डिजीटल वोयस रिकोर्डर, मैमोरी कार्ड को जरिये फर्द सुपुर्दगी के सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी श्री सुखदेवसिंह के पास कस्बा रिड़मलसर पहुंच कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये बाद हिदायत कानि. कन्हैयालाल को परिवादी के पास कस्बा रिड़मलसर रवाना किया गया। वक्त 08.30 पीएम पर श्री कन्हैयालाल कानि. 312 ब्यूरो चौकी हाजिर आया तथा डिजीटल वोयस रिकोर्डर मय स्थापित मैमोरी कार्ड के मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री सुखदेवसिंह से हुई वार्ता के अनुसार कस्बा भगवानगढ पहुंचा जहां पर परिवादी श्री सुखदेवसिंह उपस्थित मिला जिसके साथ मैं कस्बा रिड़मलसर में उपतहसील कार्यालय के पास पंहुचकर डिजीटल वोयस रिकोर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी के पास वार्ता करने हेतु उपतहसील कार्यालय को रवाना किया गया। कुछ समय बाद परिवादी सुखदेवसिंह उपतहसील कार्यालय से उपस्थित आया तथा परिवादी ने मुझे डिजीटल वोयस रिकोर्डर सुपुर्द किया जिसको मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री सुखदेवसिंह ने बताया कि उपतहसील कार्यालय में पहुंच मैने मेरे काम के सम्बन्ध में पटवारी जी से बातचीत की तो पटवारी ने एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग की। जिस पर मेरे द्वारा 50 हजार रूपये पहले देने को कहा तो पटवारी ने अपनी सहमति व्यक्त की, उक्त वार्ता मेरे द्वारा डिजीटल वोयस रिकोर्डर में रिकोर्ड करके लाया हुं। जिस पर मैने डिजीटल वोयस रिकोर्डर को चालू कर रिकोर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई। श्रीमान् के निर्देशानुसार परिवादी को अपने घर पर जरूरी कार्य होने के कारण वहीं पर छोड़कर निर्देशानुसार गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रवाना होकर हाजिर आया हुं। श्री कन्हैयालाल कानिस्टेबल द्वारा पेश किया गया डिजीटल

वोयस रिकोर्डर को कार्यालय कम्प्युटर में कनेक्ट कर रिकोर्ड वार्ता को सुना गया तो श्री कन्हैयालाल कानि. के द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वोयस रिकोर्डर को अपने पास सुरक्षित रखा गया। दिनांक 08.05.2026 को परिवादी श्री सुखेदवसिंह से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष वार्ता की गई तो परिवादी श्री सुखेदवसिंह ने बताया कि दो दिन की कार्यालयों की छुट्टी है, सोमवार को मै अंकुश कुमार पटवारी से मिलकर रिश्वति राशि दूंगा। जिस पर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की रिकोर्ड वार्ता दिनांक 07.05.2026 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी है, इसलिए कार्यालय में उपस्थित आने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरे माता-पिता बुजुर्ग है, जिनका स्वास्थय खराब रहता है, मै उनको अकेला छोड़कर नही आ सकता। मै दिनांक 11.05.2026 को रिश्वत राशि लेकर आपको सूरतगढ शहर में उपस्थित मिल जाउंगा, वही रिश्वत मांग सत्यापन की फर्द ट्रांसक्रिप्ट की कार्यवाही करवा दूंगा, जिस पर परिवादी को दिनांक 11.05.2026 को सुबह 7 बजे मय रिश्वत राशि 50,000 रूपये के कस्बा सूरतगढ में उपस्थित मिलने की हिदायत दी गई। वक्त 4.30 पी.एम पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह तलबी बाबत श्री गिरधारीलाल कानि.63 को तहरीर देकर श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् कार्यालय बीकानेर को रवाना किया गया। वक्त 5.00 पीएम पर श्री गिरधारीलाल कानि.63 मय कार्यालय जिला परिषद् बीकानेर से स्वंतत्र गवाहान श्री बीरबलराम अति. प्रशासनिक अधिकारी व श्री निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक के उपस्थित कार्यालय आये। वक्त 5.30 पीएम पर स्वंतत्र गवाह श्री बीरबलराम अति. प्रशासनिक अधिकारी व श्री निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिषद् बीकानेर को परिवादी श्री सुखदेवसिंह के द्वारा ब्यूरो में गोपनीय कार्यवाही हेतु किया गया प्रार्थना पत्र व रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया जाकर गोपनीय कार्यवाही में दोनो कार्मिकों को स्वतंत्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की, जिस पर दिनांक 11.05.2026 को गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होने एव गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूख्सत किया गया। दिनांक 09.05.2026 को परिवादी श्री सुखदेवसिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष वार्ता कर बताया कि मेरे पास 50,000 रूपये की व्यवस्था नही हुई है, मै 10,000 हजार रूपये भारतीय मुद्रा के नोट एवं 40,000 हजार डमी नोट की व्यवस्था बाजार से करके सोमवार को दिनांक 11.05.2026 को सूरतगढ शहर आपको मिल जाउंगा, जिस पर परिवादी को हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 10.05.2026 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुखदेवसिंह को जरिये दूरभाष वार्ता करने पर परिवादी ने बताया कि कल हुई वार्ता अनुसार मैने 10,000 हजार रूपये भारतीय मुद्रा के नोट एवं 40,000 हजार डमी नोट की व्यवस्था बाजार से करके ले आया हूं, जो मै कल दिनांक 11.05.2026 वार सोमवार को सूरतगढ शहर में मिल जाउंगा तथा परिवादी ने यह भी बताया कि मेरे द्वारा पूर्व में दी गई शिकायत पटवारी अंकुश कुमार के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु आपके समक्ष रिश्वत राशि के रूप में पेश कर दूंगा, जिस पर परिवादी को हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 11.05.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया जिस पर वक्त 05.15 एएम पर स्वंतत्र गवाह श्री बीरबलराम अति. प्रशासनिक अधिकारी व श्री निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक पूर्व में पाबन्द शुदा ब्यूरो चौकी में उपस्थित आये। समय 5.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री बीरबलराम अति. प्रशासनिक अधिकारी, श्री निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक, ट्रेप दल सदस्य गिरधारीसिंह उनि, राजेन्द्र हैड कानि., कन्हैयालाल, जमील अहमद, दिलीप यादव, गिरधारीलाल कानिस्टेबलगण व श्रीमति बिमला मकानि. के जरिये प्राइवेट वाहनो के ट्रेप बोक्स, फिनोफथलीन पाउडर, लैपटोप, प्रिन्टर, डिजीटल वोयस रिकोर्डर, कैमरा इत्यादि हमरा लेकर वास्ते कार्यवाही रवाना कस्बा रिड़मलसर के लिए हुआ तथा परिवादी को जरिये दूरभाष वार्ता कर सूरतगढ शहर में मय रिश्वत राशि 50,000 रूपये के मिलने हेतु हिदायत दी जाकर रवाना होकर समय 8.00 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के सूरतगढ शहर पहुंचे। जहां पर सूरतगढ शहर में पूर्व में हुई वार्ता अनुसार परिवादी श्री सुखेदवसिंह उपस्थित मिला। जिनको हमरा लेकर गोपनीय स्थान पर पहुंचे। समय 8.05 ए.एम पर गोपनीय कार्यवाही विरूद्ध श्री अंकुश कुमार पटवारी में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील संख्या 44 की फर्द नमूना सील अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 8.15 एएम पर परिवादी सुखदेवसिंह व आरोपी पटवारी अंकुश कुमार के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.05.2026 जो डिजीटल वोयस रिकोर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकोर्ड है, उक्त रिकोर्ड वार्ता को परिवादी तथा गवाहान के समक्ष जरिये लेपटोप सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मय हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गयी। रिकोर्ड वार्ता का क्लोन श्री कन्हैयालाल कानि.312 से दो पैन ड्राईव में कोपी करवायी गयी, एक पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर कपडे़ की थैली में डालकर सील्ड कर मार्क A अंकित कर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। डिजीटल वोयस रिकोर्डर में से मैमोरी कार्ड को निकाल कर उसके सेफ्टी कवर में डालकर कपडे की थैली में डालकर सील्ड कर मार्क A-1 अंकित कर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत को कब्जा एसीबी लिया गया। समय 10.30 ए. एम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री सुखदेवसिह ने रिश्वति राशि 10,000 हजार रूपये (500-500 रूपये के कुल 20 नोट) भारतीय मुद्रा के तथा 40,000 हजार रूपये डमी नोट (500-500 के कुल 80 नोट) के स्वतंत्र गवाहान के समक्ष प्रस्तुत किये। जिसमें क्रम संख्या 01 से 10 तक भारतीय मुद्रा के 500 रूपये के नोट है, तथा क्रम संख्या 11 से 90 तक भारतीय मनोरंजन बैंक के 500 अंक के डमी नोट जिस पर नंबर के स्थान पर FULL ON MASTI अंकित है जिनको देखने

पर सभी नोट एक जैसे प्रतीत होते है, क्रम संख्या 91 से 100 तक भारतीय मुद्रा के 500 रूपये के नोट है, जिनका विवरण इस प्रकार हैः- क्रम संख्या नोट का विवरण नोट के नम्बर 01. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264159, 02. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264160, 03. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264161, 04.- एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264162, 05. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264163, 06. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264164, 07.- एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264165, 08.- एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264166, 09.- एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264167, 10. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264168, 11. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 12. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 13. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 14. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 15. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 16.- एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 17.- एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 18. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 19. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 20.- एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 21. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 22. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 23. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 24. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 25. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 26. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 27. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 28. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 29. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 30. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 31. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 32. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 33. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 34. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 35. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 36. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 37. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 38. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 39. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 40. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 41. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 42. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 43. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 44. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 45.- एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 46. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 47. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 48. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 49. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 50. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 51. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 52. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 53. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 54. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 55.- एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 56. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 57. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 58. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 59. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 60. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 61. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 62. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 63. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 64. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 65. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 66. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 67. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 68. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 69. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 70. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 71. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 72. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 73. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 74. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 75. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 76. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 77. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 78. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 79. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 80. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 81. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 82. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 83.- एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 84. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 85. एक पांच सौ अंक का डमी नोट uksV FULL ON MASTI, 86. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 87. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 88.- एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 89. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 90. एक पांच सौ अंक का डमी नोट FULL ON MASTI, 91. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264169, 92. - एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264170, 93. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264171, 94. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264172, 95. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264173, 96. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264174,

97. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264175, 98. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264176, 99. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264177, 100. एक पांच सौ रूपये का नोट 8KH 264178 उपरोक्त सभी नोटो पर श्रीमति बिमला मकानि.229 से फिनोलफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री सुखदेवसिंह की बाद जामा तलाशी इसके पहने हुई लोवर की बायीं जेब में रखवाये गये। परिवादी को निर्देश दिये कि उक्त रिश्वत राशि नही छूये तथा आरोपी के मांगने पर अपनी जेब से निकालकर उसे देवे तथा अपने कार्य के संबंध में वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशी प्राप्त कर लेने पर मन् पुलिस निरीक्षक को अपने मोबाईल से कोल करे अथवा सम्भव हो तो ट्रेप पार्टी की तरफ अपने चेहरे पर हाथ फेरकर ईशारा करें। फिनोलफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को समझाया गया। परिवादी श्री सुखदेवसिंह को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकोर्ड करने के लिये सरकारी वोयस रिकोर्डर व ईशारे के लिये उसका मोबाईल सुपूर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी, सुपूर्दगी व दृष्टान्त फिनोलफ्थलीन पाउडर अलग से तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री सुखदेवसिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि पटवारी को मेरे काम के संबध में प्रार्थना पत्र मय जमाबन्दी देनी है जिनको में साथ लेकर आया हुं, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा पटवारी को दी जा रही प्रार्थना मय जमाबन्दी का अवलोकन कर पटवारी को देने के लिये परिवादी के पास रहने दिया गया। श्रीमती बिमला महिला कानि. 229 को फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी देकर रवाना ब्यूरो चौकी (एसयू) बीकानेर को किया गया। वक्त 11.30 ए.एम मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी श्री सुखेदवसिंह मय स्वतन्त्र गवाह श्री बीरबलराम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, श्री निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक मय ब्यूरो स्टाफ श्री गिरधारीसिंह उ.नि, श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि. 01, श्री जमील अहमद कानि. 147, श्री गिरधारीलाल कानि. 63, श्री दिलीप कुमार कानि. 71, श्री कन्हैयालाल कानि. 312 एवं निजी वाहनों मय डिजिटल वोयस रिकोर्डर मय लैपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बोक्स, वीडियोग्राफी हेतु सरकारी मोबाईल इत्यादि के वास्ते कार्यवाही हेतु रवाना शहर सुरतगढ से कस्बा रिड़मलसर को होकर वक्त 12.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के कस्बा रिड़मलसर में पहुंच कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को डिजीटल वोयस रिकोर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर पटवारी से वार्ता करने हेतु उप तहसील कार्यालय को रवाना किया गया। श्री कन्हैयालाल कानि.312, श्री दिलीप कुमार कानि.71 व राजेन्द्र कुमार हैड कानि.01 को परिवादी के पीछे पीछे रवाना किया गया। मै पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप दल सदस्यों के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुवे गोपनीय स्थान पर मुकीम हुवें। वक्त 12.55 पीएम पर परिवादी श्री सुखेदवसिंह उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक को डिजीटल वोयस रिकोर्डर सुपुर्द किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वोयस रिकोर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि मैने उप तहसील कार्यालय में गया तो पटवारी श्री अंकुश कुमार अपने मोबाईल फोन पर व्यस्त था। तत्पश्चात् पटवारी की मोबाईल फोन पर वार्ता पूर्ण होने पर मैने पटवारी अकुंश जी से मेरे काम के सम्बन्ध में वार्ता कर रिश्वत राशि देने हेतु कहा तो पटवारी ने कहा कि पहले आप नक्शा बनाकर ले आओ, जिस पर मैने कहा कि नक्शा तो आप ही बनाओगें, तत्पश्चात् '' पटवारी ने कहा कि मै शाम को आंउगा, चार बजे बात करूगां, तब मैने रिश्वति राशि देने को कहा तो पटवारी जी कहा नही, नही वही दे देना'' उक्त वार्ता मैने डिजीटल वोयस रिकोर्डर में रिकोर्ड करके लाया हूं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वोयस रिकोर्डर को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के रूबरू डिजीटल वोयस रिकोर्डर का स्पीकर ओन करके सुना गया तो परिवादी द्वारा बताई गई बात की ताईद होती है। आईन्दा आरोपी पटवारी के द्वारा परिवादी से हुई वार्ता अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय हमरीयान के शाम चार बजे तक गोपनीय स्थान पर पटवारी के इन्तजार में मुकिम हुवें। वक्त 04.10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री सुखेदवसिंह ने बताया कि अभी-अभी आरोपी पटवारी के पास काम करने वाला प्राइवेट व्यक्ति विक्रम का मेरे पास फोन आया है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को फोन रिसीव नही करने की हिदायत दी। तत्पश्चात् परिवादी को आरोपी पटवारी से मोबाईल फोन पर वार्ता करने हेतु हिदायत दी जाकर डिजीटल वोयस रिकोर्डर को चालू किया एवं परिवादी द्वारा आरोपी पटवारी को वॉटसअप कोल करवाई, मगर आरोपी पटवारी का मोबाईल नेट बन्द होने के कारण फोन रिसीव नही किया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा आरोपी के मोबाईल नम्बर पर सामान्य कोल किया तो आरोपी पटवारी ने फोन रिसीव कर वार्ता की और कहा कि आप उप तहसील की तरफ आ जाओ, जिस पर परिवादी ने कहा कि विक्रम के दो कोल आया था, फोन गाड़ी में पड़ा था, तब आरोपी पटवारी एक मिनट, विक्रम का क्यो फोन आया है, तब परिवादी ने कहा कि और काम हो सके, थे कोनी क्यो के, दस पन्द्रह मिनट में आ जाता हूं, आप आओ तो ठीक है, नही तो मै आ जाता तब पटवारी ने कहा कि ठीक है, ठीक है इत्यादि वार्ता हुई तत्पश्चात् पटवारी ने फोन काट दिया। उक्त वार्ता को डिजीटल वोयस रिकोर्डर में रिकोर्ड की है। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवाना होकर उप तहसील से थोड़ा पहले परिवादी को डिजीटल वोयस रिकोर्डर चालू कर आरोपी पटवारी से वार्ता करने हेतु रवाना कर पीछे पीछे श्री दिलीप कुमार कानि., श्री कन्हैयालाल कानि. व जमील अहमद कानि. को रवाना किया तथा मै पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप दल सदस्यो के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकिम हुवे। वक्त 05.25 पीएम परिवादी श्री सुखेदवसिंह उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक को डिजीटल वोयस रिकोर्डर सुपुर्द किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वोयस रिकोर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने

बताया कि मै उप तहसील कार्यालय में गया तो पटवारी श्री अंकुश कुमार अपने काम में व्यस्त था, कुछ देर मैने पटवारी जी से मेरे काम के सम्बन्ध में बात की और पटवारी ने अपनी बैग से कुछ पेपर निकाल कर उस पर रफ नक्शा बनाकर पिछे जमाबन्दी संलग्न कर मेरे का दिया और कहा कि कल सुबह आता हूं घर पर जिस पर मेरे द्वारा पूर्व में पटवारी द्वारा मांगी गई रिश्वति राशि देने का ईशारा किया तो पटवारी ने बोला कि कल आता घर पर तत्पश्चात् पटवारी अपने काम में लग गया और मै चल कर आ गया। उक्त वार्ता मैने डिजीटल वोयस रिकोर्डर में रिकोर्ड करके लाया हूं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वोयस रिकोर्डर को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के रूबरू डिजीटल वोयस रिकोर्डर का स्पीकर ओन करके सुना गया तो परिवादी द्वारा बताई गई बातों की ताईद होती है। वक्त 6.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को आरोपी पटवारी से आज दिनांक 11.05.2026 को हुई वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्टस बनाने हेतु उपस्थिति चाही तो परिवादी ने कहा कि अभी मेरे घर पर जरूरी काम है। मै आईन्दा फर्द ट्रासंक्रिप्ट्स बनाने हेतु उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी के पास पाउडरयुक्त रिश्वति राशि को श्री कन्हैयालाल कानि.312 की सहायता से एक अखबार में लपेट कर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कब्जे में ली गई। तत्पश्चात् बाद हिदायत परिवादी को ईजाजत वापसी दी गई। आईन्दा आरोपी पटवारी के द्वारा परिवादी से हुई वार्ता अनुसार कल दिनांक 12.05.2026 को अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रात्रि विश्राम हेतु कस्बा रिड़मलसर के आस-पास गोपनीय स्थान पर मुकिम होना चाहे तो रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था नही होने के कारण ट्रेप दल सदस्य श्री बीरबलराम अति. प्रशा. अधिकारी, श्री निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक, श्री गिरधारीलाल उनि, श्री जमील अहमद कानि., श्री गिरधारीलाल कानि. जरिये प्राईवेट वाहन इनोवा मय चालक के कल दिनांक 12.05.2026 को सुबह 09 बजे कस्बा सूरतगढ पहुंच कर मन् पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क करने तथा कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने के निर्देश दिये जाकर रवाना बीकानेर को किया गया। मै पुलिस निरीक्षक मय श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि.01, श्री कन्हैयालाल कानि.312, श्री दिलीप कुमार कानि.71 जरिये प्राइवेट वाहन के रवाना होकर शहर सूरतगढ पहुंच रात्रि विश्राम हेतु मुकिम हुवें। दिनांक 12.05.2026 के वक्त 08.50 एएम पर श्री गिरधारीसिंह उ.नि., स्वतन्त्र गवाह श्री बीरबलराम अति. प्रशासनिक अधिकारी, श्री निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक, श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि. 01, श्री जमील अहमद कानि. 147, श्री गिरधारीलाल कानि. 63 जरिये प्राइवेट वाहन इनोवा के उपस्थित आये। वक्त 9.20 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक इन्द्र कुमार मय स्वतन्त्र गवाह श्री बीरबलराम अति. प्रशासनिक अधिकारी, श्री निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक मय ब्यूरो स्टाफ श्री गिरधारीसिंह उनि., श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि. 01, श्री जमील अहमद कानि.147, श्री गिरधारीलाल कानि. 63, श्री दिलीप कुमार कानि. 71, श्री कन्हैयालाल कानि. 312 एवं निजी वाहनों मय डिजीटल वोयस रिकोर्डर मय लैपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बोक्स, विडियोग्राफी हेतु सरकारी मोबाईल इत्यादि के वास्ते कार्यवाही हेतु रवाना शहर सुरतगढ से कस्बा रिड़मलसर को हुआ एवं परिवादी जरिये मोबाईल फोन से वार्ता कर पूर्व से तय अनुसार गोपनीय स्थान पर मिलने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 10.05 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमरियान के कस्बा भगवानगढ पहुंच कर परिवादी श्री सुखदेवसिंह से जरिये मोबाईल फोन सम्पर्क किया तो कुछ समय बाद परिवादी श्री सुखदेवसिंह उपस्थित आया और बताया कि पटवारी मेरे घर पर उपस्थित नही आया और ना ही फोन आया है तथा परिवादी ने यह भी बताया कि मै आज पटवारी अंकुश कुमार को फोन नही करूगां सीधे ही मै उनके कार्यालय उप तहसील रिड़मलसर जाउंगा। वक्त 11.45 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री सुखदेवसिंह मय ट्रेप पार्टी जरिये प्राइवेट वाहनों के कस्बा भगवानगढ से रवाना होकर कस्बा रिड़मलसर पहुंच कर परिवादी को डिजीटल वोयस रिकोर्डर चालू कर वार्ता करने हेतु आरोपी पटवारी के कार्यालय उप तहसील को रवाना कर पीछे-पीछे श्री कन्हैयालाल कानि, श्री दिलीप कुमार कानि., श्री गिरधारीलाल कानि. को रवाना किया गया। मै पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप दल सदस्यो के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुवे गोपनीय स्थान पर मुकीम हुवें। वक्त 11.58 ए.एम पर परिवादी श्री सुखेदवसिंह उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक को डिजीटल वोयस रिकोर्डर सुपुर्द किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वोयस रिकोर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि मै उप तहसील कार्यालय रिड़मलसर में गया तो पटवारी श्री अंकुश कुमार उपस्थित नही मिला, जिस पर मैने कार्यालय स्टाफ को पटवारी जी के बारे में पूछा तो स्टाफ ने बताया कि नायब साहब के साथ फिल्ड में गये हुवे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वोयस रिकोर्डर को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के रूबरू डिजीटल वोयस रिकोर्डर का स्पीकर ओन करके सुना गया तो परिवादी द्वारा बताई गई बात की ताईद होती है। उक्त रिकोर्ड वार्ता में परिवादी व उप तहसील कार्यालय के स्टाफ के मध्य हुई वार्ता है, उक्त रिकाॅर्ड वार्ता में पटवारी अकुंश कुमार की आवाज नही है, इस कारण उक्त रिकोर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स नही बनाने का निर्णय लिया गया है। वक्त 02.05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी पटवारी अकुंश कुमार के मोबाईल नम्बर की लोकेशन प्राप्त की तो लोकेशन उप तहसील कार्यालय रिड़मलसर में आने पर परिवादी को डिजीटल वोयस रिकोर्डर चालू कर वार्ता करने हेतु आरोपी पटवारी के कार्यालय उप तहसील को रवाना कर पीछे-पीछे श्री कन्हैयालाल कानि, श्री दिलीप कुमार कानि., श्री गिरधारीलाल कानि. को रवाना किया गया। मै पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप दल सदस्यो के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुवे गोपनीय स्थान पर मुकीम हुवें। वक्त 3.20 पीएम पर परिवादी श्री सुखेदवसिंह उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक को डिजीटल वोयस रिकोर्डर सुपुर्द किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वोयस रिकोर्डर को

बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि मै उप तहसील कार्यालय में गया तो पटवारी श्री अंकुश कुमार अपने काम में व्यस्त था, मेरे को हाथ से ईशारा कर बाहर इन्तजार करने के लिए कहा, जिस पर मै उप तहसील के बाहर दुकान पर बैठ कर पटवारी जी का इन्तजार किया और व्हाट्सप पर वोयस मैसेज भेजा कुछ समय बाद पटवारी का मेरे पास कोल आया, जिस पर मै पटवारी जी के पास कार्यालय में गया तो पटवारी ने मुझे कहा कि नक्शा बनाने हेतु चलेगे, जिस पर मैने कहा चलो कुछ समय बाद पटवारी ने मेरे परिवार के भाई दिली से मेरे फोन से वार्ता की और कहा कि आप फ्री हो तो हम आ रहे है, उन्होने कहा हम दो दिन घर के निजी काम में बिजी है, जिस पर पटवारी ने मुझे कहा कि वो फ्री होगें तब देखेगे। जिस पर मेरे द्वारा कहा कि मेरे को कही बाहर जाना है, तब पटवारी ने कहा कि एक-दो दिन रूको। उक्त वार्ता मैने डिजीटल वोयस रिकोर्डर में रिकोर्ड करके लाया हूं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वोयस रिकोर्डर को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के रूबरू डिजीटल वोयस रिकोर्डर का स्पीकर ओन करके सुना गया तो परिवादी द्वारा बताई गई बात की ताईद होती है। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि पटवारी जी अब पहले हमारी जमीन का नक्शा बनाकर हमारे परिवार के सभी सदस्यो के सहमति होने पर हस्ताक्षर करवाकर बाद मे रिश्वत राशि लेने की संभावना लग रही है। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को आरोपी पटवारी से आज दिनांक 12.05.2026 को हुई वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने हेतु उपस्थिति चाही तो परिवादी ने बताया कि मेरे घर पर माता-पिता बुजुर्ग है, इसलिए घर जाना बहुत जरूरी है। मै आईन्दा फर्द ट्रासंक्रिप्ट बनाने हेतु उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी के पास पाउडरयुक्त रिश्वति राशि को श्री कन्हैयालाल कानि.312 की सहायता से एक अखबार में लपेट कर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कब्जे में ली तथा परिवादी को निर्देश दिये कि आरोपी का कोल आने पर मन् पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क करें तथा गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूख्सत किया गया। वक्त 04.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक इन्द्र कुमार, स्वतन्त्र गवाह श्री बीरबलराम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, श्री निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक मय ब्यूरो स्टाफ श्री गिरधारीसिंह उ.नि, श्री राजेन्द्र कुमार हैड कानि. 01, श्री जमील अहमद कानि. 147, श्री गिरधारीलाल कानि. 63, श्री दिलीप कुमार कानि. 71, श्री कन्हैयालाल कानि. 312 एवं निजी वाहनों मय लैपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बोक्स, विडियोग्राफी हेतु सरकारी मोबाईल, पाउडर युक्त रिश्वति राशि, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.05.2026 मुर्तिबा दिनांक 11.05.2026 का एक मूल मैमोरी कार्ड शील्ड शुदा, एक पैन ड्राईव शील्ड शुदा व एक पैन ड्राईव खुली अवस्था में इत्यादि के रवाना चैकी भ्र.नि.ब्यूरो एसयू, बीकानेर को होकर वक्त 08.30 पीएम पर ब्यूरो चौकी (एसयू) पहुंचा। रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के वजह सबूत एक मूल मैमोरी कार्ड शील्ड शुदा, एक पैन ड्राईव शील्ड शुदा व एक पैन ड्राईव खुली अवस्था में तथा पाउडर युक्त रिश्वति राशि जरिये प्रभारी मालखाना के जमा मालखाना करवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान को आईन्दा परिवादी फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स बनवाने के लिए उपस्थित आने व गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होने एव गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूख्सत किया गया। दिनांक 15.05.2026 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुखदेवसिंह से सम्पर्क किया तो परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि पटवारी श्री अकुंश कुमार ने मेरे से नक्शा सम्बन्धित दस्तावेजात मागे थे, जो मैने उनको दे दिया है। रिश्वत राशि के सम्बन्ध में कोई वार्ता नही हुई है। रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पटवारी का कोल आने पर मै आपसे सम्पर्क करूगां, जिस पर परिवादी को निर्देश दिये कि पटवारी का रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में कोल आने पर आप मन् पुलिस निरीक्षक को तुरन्त सम्पर्क करोगें। दिनांक 16.05.2026 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुखदेवसिंह से सम्पर्क किया तो परिवादी ने फोन रिसीव नही किया। वक्त 1.13 पीएम पर परिवादी का मन् पुलिस निरीक्षक के व्हाट्सप पर वोयस मैसेज आया जिसको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया तो परिवादी ने बताया कि सर आज तो पटवारी आया नही, नक्शा वगैरा बन गया, अब वो बयान लेने आयेगे, सभी का घर पर, या तो स्टाम्प पर लेगा या साफ कागज पर, बयान लेगा और साईन करवायेगा, सोम या मंगलवार को करवायेगा, उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी, पेमेन्ट की अभी तक कोई बात नही हुई, अभी तो डोक्यूमेन्ट पुरा कर रहा है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से आईन्दा सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।□□दिनांक 19.05.2026 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुखदेवसिंह से सम्पर्क किया तो परिवादी ने फोन रिसीव नही किया। वक्त 9.15 पीएम पर परिवादी का मन् पुलिस निरीक्षक के व्हाट्सप पर अग्रेंजी में मैसेज आया कि सर आया नही पटवारी आज जोब पर, जिससे कोई बात होगी मै कोल करूंगा आप को, कोई भी अपडेट होगी सर मै बता दूंगा आप को। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से आईन्दा सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।□ दिनांक 01.06.2026 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुखदेवसिंह से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मै आज पटवारी जी से उनके कार्यालय में मिला तो पटवारी श्री अकुंश कुमार ने कहा कि आप कल पैसों की व्यवस्था करके ले आयो, ताकि मै आपका काम कर देता हूं, फिर नायब तहसीलदार साहब का ट्रांसफर हो जायेगा, इसलिए आपका काम पैन्डिग रह जायेगा, जिस पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को कहा कि मै कल पटवारीजी से मिलकर पूर्व में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार 50,000 रूपये रिश्वत राशि उनको दूंगा, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी कि कल दिनांक 02.06.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना है। दिनांक 11.05.2026 व 12.05.2026 को रिकोर्ड वार्ताओं की भी फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स तैयार की जानी है, इसलिए आप कल दिनांक 02.06.2026 को सुबह 07 बजे सूरतगढ शहर उपस्थित मिले। तत्पश्चात् मन्

पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही में पूर्व में पाबन्द शुदा स्वंतत्र गवाहान श्री बीरबलराम अति. प्रशासनिक अधिकारी व श्री निर्मल स्वामी, कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिषद् बीकानेर से सम्पर्क कर दिनांक 02.06.2026 को सुबह जल्दी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु हिदायत दी गई। दिनांक 02.06.2026 के वक्त 06.30 एएम पर स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री बीरबलराम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक जिला परिषद बीकानेर कार्यालय हाजा पर पुर्व से पांबदशुदा उपस्थित आये। समय 6.40 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक इन्द्र कुमार, दोनो स्वंतत्र गवाह श्री बीरबलराम अति. प्रशासनिक अधिकारी, श्री निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक ब्यूरो स्टाफ श्री अशोक कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्री राजेन्द्र मुख्य आरक्षक, श्री जमील अहमद कानि.147, श्री गिरधारीलाल कानि.63, श्री दिलीप कुमार कानि.71, श्री कन्हैयालाल कानि.312, श्री मनोहरलाल कानि.115 मय ट्रेप साम्रगी, प्रिन्टर लैपटोप इत्यादि तथा कार्यालय के मालखाना से पूर्व में रखी गई पाउडरयुक्त रिश्वति राशि 50,000 रूपये हमरा लेकर जरिये सरकारी वाहन चालक श्री गजेन्द्रसिंह एवं निजी प्राइवेट वाहन इनोवा से कार्यालय भ्रनिब्यूरो, (एसयू) बीकानेर से वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवाना कस्बा रिडमलसर जिला श्री गंगानगर को होकर वक्त 10.00 एएम पर सुरतगढ कस्बा पहुचे जहां पर पूर्व में पाबन्दशुदा परिवादी श्री सुखदेवसिंह सूरतगढ शहर में उपस्थित मिला, जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री बीरबलराम अति. प्रशासनिक अधिकारी से परिवादी श्री सुखदेवसिंह की पहनी लोवर के सामने की बांयी जेब में पाउडरयुक्त रिश्वति राशि 50,000 रूपये रखवाये जाकर परिवादी को निर्देश दिये कि उपरोक्त रिश्वति राशि को हाथ न लगाये तथा आरोपी पटवारी द्वारा मांगने पर देकर पूर्व में निर्धारित ईशारा करें तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री सुखेदवसिंह व ट्रेप टीम के कस्बा सूरतगढ से रवाना होकर कार्यालय उप तहसील रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को होकर वक्त 10.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के कार्यालय उप तहसील रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के नजदीक पहुंचकर श्री कन्हैयालाल कानि.312 के जरिये डिजीटल वोयस रिकोर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर परिवादी श्री सुखेदवसिंह को चालू करके सुपुर्द किया जाकर वार्ता करने हेतु परिवादी को आरोपी श्री अंकुश कुमार राजस्व पटवारी के पास उप तहसील कार्यालय रिड़मलसर को भेजा गया तथा पिछे-पिछे श्री कन्हैयालाल कानि.312, श्री दिलीप कुमार कानि.71 व श्री राजेन्द्र कुमार एसची.01 को रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमरा सभी ट्रेप पार्टी सदस्यों के परिवादी श्री सुखदेवसिंह के ईशारा के इन्तजार में मुकिम हुए। वक्त 01.13 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर परिवादी श्री सुखदेवसिंह के मोबाईल नम्बर से मिस्ड कॅाल प्राप्त होने पर हमरा सभी ट्रेप पार्टी सदस्यों के अविलम्ब उप तहसील कार्यालय रिड़मलसर के अन्दर प्रवेश हुए तो बांयी तरफ के कमरे के गेट पर परिवादी श्री सुखदेवसिंह उपस्थित मिला, जिसने सामने टेबल के पिछे की तरफ बांयी और से पहले कुर्सी पर चश्मा लगाये हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री अंकुश कुमार पटवारी है, जिनके पास मेरा पैण्डिग काम था, आज पटवारी अंकुश कुमार ने मुझे मेरे काम के सिलसिले मे रिश्वत राशि लेकर बुलाया था, जिस पर मै आज उप तहसील कार्यालय रिड़मलसर में आरोपी पटवारी श्री अंकुश कुमार से मिला और मेरे पैण्डिग काम के सम्बन्ध में वार्ता की जाकर मेरे काम के सम्बन्ध मे पूर्व में पटवारी जी द्वारा बताये गये कागजात दिये एवं पटवारी श्री अंकुश कुमार द्वारा पूर्व में मेरे संयुक्त कृषि भूमि का खाता विभाजन व शुद्धिकरण करने के सम्बन्ध में 1,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मांग के क्रम में आज दिनांक को 50,000 रूपये मांगने पर मेरे द्वारा पटवारी श्री अंकुश कुमार जी 50,000 रूपये दिये है, जो इन्होने से मेरे से रिश्वत के रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रख लिये और अपनी सीट से खड़ा होकर अन्दर बने कमरा में जाकर अपने निजी पिठू बैग में रख लिये तथा फिर आकर अपनी सीट पर बैठ गया। जिस पर मेरे द्वारा आपको मेरे मोबाईल से मिस कोल कर दिया था, इस पर परिवादी श्री सुखदेवसिंह को साथ लेकर हमराही सभी ट्रेप सदस्यो के आरोपी के कक्ष में प्रवेश हुए और मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री जमील अहमद कानि.147 से सरकारी मोबाईल में नया मैमोरी कार्ड स्थापित करवाकर विडियोग्राफी शुरू करवाई जाकर कमरे के अन्दर सामने की तरफ लकड़ी की टेबल पिछे की तरफ बांयी और से पहली कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व ट्रेप टीम का परिचय देकर इसका परिचय पूछा तो यह व्यक्ति एकदम से घबरा गया व पुछने पर अपना नाम अंकुश कुमार राजस्व पटवारी पटवार हल्का 68 एल.एन.पी. रिड़मलसर तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर होना बताया। इस पर श्री अंकुश कुमार को परिवादी श्री सुखदेवसिंह से ली गई रिश्वति राशि के बारे में पूछा तो अंकुश कुमार ने कहा कि मैने श्री सुखदेवसिंह से कोई रूपये नही लिये है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी के तसल्ली देकर पुनः पूछा गया तो बताया कि मैने श्री सुखदेवसिंह से उनके नाम कृषि भूमि चक 68 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर 35 तथा खाता संख्या 135 जो संयुक्त खाता दर्ज रिकोर्ड पटवार में है, जिसका संयुक्त भूमि का खाता विभाजन एवं शुद्धिकरण के काम करने की एवज में श्री सुखेदवसिंह से 50,000 रूपये प्राप्त किये है, जो मैने मेरी पहनी पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रखे थे, जो बाद मै मैने मेरे निजी पिठू बैग में अन्दर कमरे में जाकर रख दिये, जिस पर पटवारी अंकुश कुमार के बताये अनुसार इसी कमरे में बने छोटे कमरे मे आरोपी पटवारी को साथ में लेकर प्रवेश किया जिस पर पटवारी अंकुश कुमार द्वारा अपने बताये अनुसार कमरे में रखे एक पिठू बैग को खोलकर स्वंतत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ की उपस्थित में बैग में से 50,000 रूपये की एक गड्डी जिस पर रबर लगा हुआ को निकालकर पेश की व बताया कि यह रिश्वति राशि की एक गड्डी जो मैने श्री सुखदेवसिंह से आपके आने से पहले प्राप्त की थी, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक

के निर्देष पर गवाह श्री बीरबलराम अति. प्रशासनिक अधिकारी ने आरोपी अंकुश कुमार द्वारा अपने पीठू बैग में से निकालकर पेश की गई रिश्वत राशी की गड्डी को गिनकर 50,000 रिश्वती राशी (जिसमें 10,000 रूपये भारतीय मुद्रा के एवं 40,000 डमी नोट) होना बताया। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेषकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वहीं पाये गये। जिसकी फर्द पेशकशी पुर्व से मुर्तिब है पृथक से फर्द बरामदगी, हाथ धुलवाई एवम् पूछताछ पृथक से तैयार की गयी। उपरोक्त 50,000 रिश्वती राशी (10,000 रूपये भारतीय मुद्रा के नोट एवं 40,000 डमी नोट) को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया। आरोपी के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर आरोपी अंकुश कुमार राजस्व पटवारी का दायां व बांया हाथ क्रमश कन्हैयालाल कानि. व दिलीप कुमार कानि. ने कलाईयों से पकड़ लिये। अंकुश कुमार राजस्व पटवारी को रिश्वत लेने का अपराध करने पर गिरफ्तारी करने के सम्बधं में अवगत कराया गया। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो साफ डिस्पोजल गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी अंकुश कुमार राजस्व पटवारी के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क R-1 R-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी अंकुश कुमार राजस्व पटवारी के बायें हाथ की अंगूलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क L-1 L-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। तत्पश्चात आरोपी अंकुश कुमार राजस्व पटवारी के लिये अलग से एक लोवर की व्यवस्था की जाकर आरोपी के पहनी पैन्ट को खुलावाया जाकर लोवर पहनाया गया एवं आरोपी पटवारी के पहनी पैन्ट की आगे की सामने की दोनो जेबो को बारी-बारी से सोडियम कार्बोनेट पाउडर के तैयार घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का मटमेला हो गया। गिलास के इस मिश्रण को पृथक-पृथक कांच की दो-दो शिशियो में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क PR-1, PR-2 एवम् PL-1, PL-2 अंकित किये एवं उक्त पैन्ट को सुखाकर सीलचिट कर मार्क P अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियो एवं पेन्ट को कब्जा एसीबी में लिया गया। तत्पश्चात आरोपी अंकुश कुमार राजस्व पटवारी के द्वारा प्राप्त की गई रिश्वती राशी को अपने निजी पीठू बैग में रखने के कारण एक साफ कपडे़ की चिन्दी को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के तैयार घोल में डुबोकर उक्त पीठू बैग की जेब का धोवन लिया गया तो उक्त पीठू बैंग के अन्दर की जेब के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस धोवन के मिश्रण को कांच की दो शिशियो में आधा-आधा डालकर शिशियो को सीलचिट बंद कर मार्क B-1 B-2 अंकित किया एवं उक्त पीठू बैग को सीलचिट कर मार्क B अंकित किया तथा उक्त साफ कपड़े की चिन्दी को सुखाकर सीलचिट कर मार्क C अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी में लिया गया। आरोपी अकुंश कुमार राजस्व पटवारी के पास से परिवादी सुखदेवसिंह द्वारा अपने पारिवारिक सदस्यो की संयुक्त भूमि का खाता विभाजन स्वीकृति बाबत प्रार्थना पत्र श्रीमान उप तहसीलदार रिड़मलसर का अवलोकन किया गया एवं आरोपी पटवारी अंकुश कुमार से पूछताछ की तो बताया कि परिवादी श्री सुखदेवसिंह ने अपने संयुक्त खाता विभाजन की फाईल जांच हेतु मेरे को दी थी जिसकी जांच करने उपरान्त प्रार्थी ओनलाईन आवेदन करने वाला था, यह सही है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र परिवादी श्री सुखदेवसिंह द्वारा श्रीमान उप तहसीलदार रिड़मलसर के नाम से लिखा गया था जिसको श्रीमान उप तहसीलदार जी के द्वारा बाद रिमार्क मेरे पास आना था। मेरी श्री सुखदेवसिंह से पूर्व में जानकारी होने के कारण सुखदेवसिंह ने मुझे यह दस्तावेज दिये थे। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में आरोपी अंकुश कुमार राजस्व पटवारी के हाथों व अंगूठे, आरोपी की पहनी पैन्ट, आरोपी के बैग से रिश्वत राशि बरामदगी बाबत धोवन की कार्यवाही, वजह सबूत को सील मोहर करने तथा आरोपी से दौराने ट्रेप कार्यवाही पूछताछ एवं परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की विडियोग्राफी सरकारी मोबाईल में स्थापित नया मैमोरी कार्ड में श्री जमील अहमद कानि.147 से करवाई गई। रिकोर्ड विडियोंग्राफी का क्लोन श्री जमील अहमद कानि.147 से दो पैन ड्राईव में कोपी करवाकर पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर सीलचिट कर मार्क V-1 एवं दूसरे पैन ड्राईव को अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर सेफ्टी कवर में डालकर उसको कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क V अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी एवं आरोपी पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जो कि डिजिटल वोयस रिकोर्डर में स्थापित मूल मेमोरी कार्ड में रिकोर्ड है, उक्त रिकोर्ड वार्ता को परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू सुन-सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जायेगी। ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत शील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना फर्द पर अंकित किया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्दात विधिवत पृथक से मुर्तिब की गयी। वक्त 07.40 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा मौका हालात मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। वक्त 8.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री सुखदेवसिंह के कार्य के संबध में तैयार दस्तावेजात जो कि परिवादी ने पुर्व में आरोपी श्री अकुंश कुमार राजस्व पटवारी 68 एलएनपी रिडमलसर को रिश्वत राशि देते समय दिये थे उक्त दस्तावेजात श्री अकुंश कुमार राजस्व पटवारी से

प्राप्त कर अवलोकन किया गया उक्त दस्तावेजात प्रकरण में वाछिंत होने पर जरिये फर्द पृथक से जब्त किये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द जब्ती विधिवत मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गयी। वक्त 08.05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री सुखदेवसिंह पुत्र श्री जीतसिंह निवासी चक 68 एल.एन.पी. मण्डी रिड़मलसर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर के नाम चक 68 एल.एन.पी. मण्डी रिड़मलसर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर में 0.4500 हैक्टेयर (लगभग पौने दो बीघा) बारानी कृषि भूमि है, जिसका मुरब्बा नम्बर 35 तथा खाता संख्या 135 है। उक्त कृषि भूमि का संयुक्त खाता विभाजन व शुद्धिकरण करने हेतु आरोपी अंकुश कुमार पटवारी द्वारा 1,00,000 रूपये की मांग कर मांग के अनुसरण में प्रथम किश्त के रूप में परिवादी श्री सुखदेवसिंह से आज दिनांक 02.06.2026 को 50,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त किये जो कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध पाया जाने पर आरोपी श्री अंकुश कुमार राजस्व पटवारी को गिरफ्तार किया जाना है। इस बाबत आरोपी पटवारी को उसके अपराध के संबध में गिरफ्तार करने बाबत कारण गिरफ्तारी नोटिस पृथक से दिया गया। समय 08.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री अंकुश कुमार राजस्व पटवारी पटवार हल्का 68 एलएनपी रिडमलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को बाद आगाह तमाम वाक्यात जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी एवम् चैक लिस्ट पृथक से विधिवत तैयार की गयी। वक्त 09.30 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री अंकुश कुमार राजस्व पटवारी के हाथों व अंगूठे, आरोपी की पहनी पैन्ट, आरोपी के बैग से रिश्वत राशि बरामदगी बाबत धोवन की कार्यवाही, वजह सबूत को सील मोहर करने तथा आरोपी से दौराने ट्रेप कार्यवाही पूछताछ एवं परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की विडियोग्राफी सरकारी मोबाईल से करवाई गई थी। उक्त बीडियोग्राफी की विधिवत फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड विडियोग्राफी अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.00 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 02.06.2026 को परिवादी श्री सुखदेवसिंह एवम् आरोपी अंकुश कुमार राजस्व पटवारी के मध्य रिश्वती राशि लेन-देन के दौरान हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वोयस रिकार्डर में रिकोर्डेड वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रिकोर्ड वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड से क्लोन श्री गिरधारीलाल कानि 63 से दो पैन ड्राईव में कोपी करवाकर पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर सीलचिट कर मार्क D-1 एवं दूसरे पैन ड्राईव को अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर सेफ्टी कवर में डालकर उसको कपडे की थैली में डालकर कर सीब्ड कर मार्क D अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 03.06.2026 के वक्त 12.05 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय सर्वश्री अशोक कुमार सउनि, राजेन्द्र कुमार एचसी 01, कन्हैयालाल कानि.312, दिलीप कुमार कानि.71, गिरधारीलाल कानि.63, जमील अहमद कानि.147, मनोहरलाल कानि.115,स्वतंत्र गवाहान बीरबलराम, निर्मल कुमार, परिवादी सुखदेवसिंह, गिरफ्तारशुदा आरोपी अंकुश कुमार राजस्व पटवारी, दौराने ट्रेप कार्यवाही सील्डशुदा समस्त प्रादर्श मय सरकारी, प्राइवेट वाहन मय वाहन चालक के रवाना कस्बा सुरतगढ को होकर समय 12.30 एएम पर कस्बा सुरतगढ पहुंचा, दौराने ट्रेप कार्यवाही गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अकुंश कुमार राजस्व पटवारी को बाद मेडिकल मुआयना पुलिस थाना सुरतगढ शहर में बन्द हवालात करवाया तत्पश्चात हमराहीयान में से सर्वश्री अशोक कुमार सउनि, गिरधारीलाल कानि.63, जमील अहमद कानि.147, मनोहरलाल कानि. 115 मय दौराने ट्रेप कार्यवाही सील्डशुदा समस्त प्रादर्श मय प्राइवेट वाहन के रवाना ब्यूरो चैकी बीकानेर को किया जाकर हिदायत मुनासिब की गयी एवम मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष ब्यूरो जाब्ता, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री बीरबलराम, श्री निर्मल स्वामी, परिवादी श्री सुखदेवसिंह के रूबरू परिवादी एवम् आरोपी के मध्य दिनांक 11.05.2026 तथा 12.05.2026 को हुई रिकोर्डेड वार्ताएं जो ब्यूरो के डिजीटल वोयस रिकोर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकोर्डेड है। उपरोक्त वार्ताओं को सुन सुन कर फर्द ट्रासक्रिप्ट बनानी शुरू की जाकर वक्त 05.30 एएम तक फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रिकोर्ड वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड से क्लोन श्री दिलीप कुमार कानि.71 से दो पैन ड्राईव में कोपी करवाकर पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर सीलचिट कर मार्क M-1 एवं दूसरे पैन ड्राईव को अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर सेफ्टी कवर में डालकर उसको कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क M अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 06.00 एएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील संख्या 44 को नष्ट कर फर्द मुर्तीब कर शामिल पत्रावली की गई एवम् परिवादी श्री सुखदेवसिंह को रूखसत दी गयी। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री सुखदेवसिंह पुत्र श्री जीतसिंह जाति जटसिख उम्र 44 वर्ष पेशा खेती-बाड़ी निवासी चक 68 एल.एन.पी. मण्डी रिड़मलसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की चक 68 एलएनपी पटवार हल्का रिड़मलसर तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर में 0.4500 हैक्टेयर (लगभग पौने दो बीघा) बारानी कृषि भूमि जिसका मुरब्बा नम्बर 35 तथा खाता संख्या 135 है। उक्त कृषि भूमि का संयुक्त खाता विभाजन व शुद्धिकरण करने हेतु आरोपी अंकुश कुमार राजस्व पटवारी द्वारा 1,00,000 रूपये की मांग कर मांग के अनुसरण में प्रथम किश्त के रूप में परिवादी श्री सुखदेवसिंह से दिनांक 02.06.2026 को 50,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है। जिस पर आरोपी अंकुश कुमार राजस्व पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा जाकर रिश्वती राशि 50,000 रूपये रिश्वती राशि बरामद किये गये। इस प्रकार आरोपी श्री अंकुश कुमार राजस्व पटवारी द्वारा परिवादी के वैध

काम को करने के लिये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अवैध रूप से रिश्वती राशि 1,00,000 की मांग की एवम् उक्त मांग के अनुसरण में दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी पटवारी द्वारा 50,000 रूपये परिवादी से रिश्वती राशि के रूप में प्राप्त किये जाने पर आरोपी श्री अंकुश कुमार हाल राजस्व पटवारी पटवार हल्का 68 एलएनपी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाते हुए जरिये विधिवत फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार कर पेश न्यायालय कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। आरोपी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। सम्पुर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री मनसुखराम मेघवाल निवासी 8 EEA तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल राजस्व पटवारी पटवार हल्का 68 एलएनपी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) घटित होना पाया गया है। अतः श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री मनसुखराम मेघवाल निवासी 08 EEA तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल राजस्व पटवारी पटवार हल्का 68 एलएनपी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ में अभियोग पंजिबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो राज. जयपुर की सेवा में प्रेषित है। भवदीय (इन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक एसीबी एसयु बीकानेर..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अंकुश कुमार पुत्र श्री मनसुखराम मेघवाल निवासी 08 EEA तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल राजस्व पटवारी पटवार हल्का 68 एलएनपी रिड़मलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम पर 66 अंकित है। (सुनिल सिहाग) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 897-900 दिनांक 04.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 3- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयु बीकानेर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURESH SHARMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Sunil Sihag
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/06/2026 14:50:32

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Sunil Sihag

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)